कार्यालय जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक / लेखा / आपदा. / सहायता / भरतपुर / 2021–22 / 970 दिनांक :– 16/11/2021

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

मानसून वर्ष 2021 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सडकों की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक 14443–50 दिनांक 11.11.2021 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या–100 / 2021–22 के द्वारा निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से निम्नानुसार कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त प्रशासनिक स्वीकृति, श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक 14443–50 दिनांक 11.11.2021 में वर्णित शर्तों एवं दिशा निदेशों के अध्याधीन रहेगी। स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	खण्ड कार्यालय का नाम	तहसील का नाम	स्वीकृत कार्यो की संख्या	एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार देय राशि (1.00 / 0.60 लाख प्रति किलोमीटर)	प्रशासनिक स्वीकृति (राशि लाखों में)
1	सा.नि.वि. खण्ड भरतपुर	भरतपुर	80	93.12	93.12
		नदबई	56	148.28	148.28
2	सा.नि.वि. खण्ड बयाना	रूपवास	66	135.17	135.17
		वैर	29	36.52	36.52
3	सा.नि.वि. खण्ड डीग	कुम्हेर	72	115.46	115.46
		नगर	97	115.29	115.29
		डीग	35	71.35	71.3.5
4	सा.नि.वि. खण्ड कामां	पहाडी	44	61.15	61.15
		कामां	65	81.67	81.67
	योग		**544**	**858.01**	**858.01**

उपरोक्तानुसार रूपये 10 लाख तक के कार्य जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से निर्धारित दर पर कराये जायेंगे। स्वीकृत राशि का व्यय सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों सा.नि.वि. एवं नगर विकास न्यास वित्तीय एवं लेखा नियमों, सीआरएफ, एनसीसीएफ तथा कार्यकारी विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उपर्यक्त स्वीकृत कार्यों के लिए प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों में कार्य कारी विभाग द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रकार के प्रशासनिक एवं कन्टीजेन्सी चार्ज देय नहीं होगा। उक्त कार्य नियमानुसार टेन्डर प्रक्रियादि पूर्ण कर सम्पादित किये जायेंगे ।

विभाग द्वारा **Per km.** की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया गया है अतः निर्धारित दरों से अधिक राशि का उपयोग सडकों के **Restoration** पर ना करें। प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट प्राप्त की जावेगी कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है तत्पश्चात भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार इस कार्यालय द्वारा की जावेगी। जो सडकें **defect liability period** के तहत आती है उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है। कार्यकारी एजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी की वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करेगें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी । स्वीकृत कार्य कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से तीस दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगें। स्वीकृत कार्यों में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्सबंधी नियम/निर्देश एवं निर्धारित प्रकिया की पालना तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उक्त समस्त कार्यों की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में संबंधी विभाग/कार्यकारी संस्था तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी कर इस कार्यालय का प्रस्तुत करें। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से बजट आंवटन प्राप्त होते ही अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वित्तीय स्वीकृती जारी की जावेगी एवं वित्तीय स्वीकृती जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है तो इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02-बाढ, चकवात आदि, 106- खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, 08-बाढ़ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, 01- सडकों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना , 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध से किया जावेगा। (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत, 25 प्रतिशत राज्य निधि)

नोट- सा.नि.वि. खण्ड कामां तहसील पहाडी के प्राप्त प्रस्तावों की कम संख्या 1 एवं 2 में किलोमीटर अंकित नहीं किया गया है। उक्त दोनों कार्यों को स्वीकृत नहीं किया गया है तथा सा.नि.वि. खण्ड कामां तहसील कामां के प्राप्त प्रस्तावों की कम संख्या 1 में किलोमीटर अंकित नहीं किया गया है। इसे भी स्वीकृत नहीं किया गया है।

(हिमांशु गुप्ता) 15/11

जिला कलक्टर एंव अध्यक्ष,

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

भरतपुर 16/11/2021

क्रमांक/लेखा/आपदा./सहायता /भरतपुर/2021-22/ 971-990

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज0 जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर।
3. सचिव/आयुक्त नगर निगम/नगर सुधार न्यास भरतपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. भरतपुर/खण्ड भरतपुर, बयाना, डीग, कामां।
5. अधीक्षण अभियन्ता सार्व. नि. वि. भरतपुर।
6. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बयाना।
7. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/नगर सुधार न्यास/ नगर निगम/नगर पालिका.................................।
8. उपखण्ड़ाधिकारी...।
9. कोषाधिकारी भरतपुर।
10. प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग, कलैक्ट्रेट, भरतपुर

अति.जिला कलक्टर एवं सचिव

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

कलैक्ट्रेट भरतपुर